

PROCEEDINGS OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHTS COMMITTEE HELD ON 22-01-2021 at 12:30 PM UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI ADITYA NEGI, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

Meeting of the District Level Forest Rights Committee was convened on 22-01-2021 at 12:30 PM under the Chairmanship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla in his office chamber. The followings were present:-

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Smt. Prabha Rajeev | Addl. District Magistrate (L&O). |
| 2. Sh. Ashok Kr Negi | Divisional Forest Officer, Theog. |
| 3. Sh. Arvind Kumar | Divisional Forest Officer, Rampur. |
| 4. Sh. Susheel Rana | Divisional Forest Officer, Shimla (Rural). |
| 5. Sh. Devinder Chauhan | Range Officer, Dodrakawar. |

At the outset, the Deputy Commissioner, Shimla welcomed all the members of the committee. The ADM (L&O) apprised that following 19 cases approved by the Sub-Divisional Level Forest Rights Committees to issue FRA certificate for processing the cases under the Forest Conservation Act, 1980 have been received from the respective Sub-Divisional Officers (C).

Sr. No.	Name of Proposals
1.	Construction of link road Jatingri to Shalangra, Mohal Kutasani, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
2.	Construction of Fire Training Centre Baldeyan, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
3.	Construction of Link road from Ghillu to Shakrogda, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
4.	Construction of Research & Training Institute, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
5.	Construction of GMS Building at Jatoli, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
6.	Construction of water Storage Tank, Moot Court Library Block and Legal Aid Clinic, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
7.	Construction of road from Bamta Kainchi to Mamvi Pujarli (Shangroli) via Jagdah, Tehsil Chopal, District Shimla.

Copy Attested.

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

(190)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on **22-01-2021 at 12.30 PM** in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Dhanot, Chanju and Kalara (Nerwa) claiming rights in village forest area(s) **03-98-50 Hectares** under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Chopal were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
----Nil---			

Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
----Nil---			

As informed by SDO(Civil), Chopal no application was received from Gram Sabha Dhanot, Chanju and Kalara (Nerwa) claiming right in **03-98-50 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date: 8-2-2021

Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla

Copy Attested

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-17100

(189)

FORM-1

(For linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2019- 129

dated: 8-2-2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **03-98-50 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, HPPWD Division, Chopal for construction of road Sheel Thachali Soyul Bagna road via Jagdah (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Mauja Dhanot, Kalara and Thachali, Tehsil Chopal, District Shimla.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **03-98-50 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure-A to annexure-B.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl. As above.

(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla

Copy Attested

Additional District Magistrate
Shimla, Dist. Shimla-171001

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on **22-01-2021** at **12.30 PM** in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Dhanot, Chanju and Kalara (Nerwa) claiming rights in village forest area(s) **03-98-50 Hectares** under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Chopal were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
----Nil---			

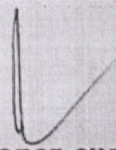
Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
----Nil---			

As informed by SDO(Civil), Chopal no application was received from Gram Sabha Dhanot, Chanju and Kalara (Nerwa) claiming right in **03-98-50 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date: 8-2-2021


Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla

Copy Attested

Additional District Magistrate
Shimla Distt. Shimla-171001

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 2006
वन अधिकार समिति धनौड़ (लालपावरी, जालपावरी)
ग्राम नाम धनौड़ (लालपावरी)
प्रतिष्ठित प्रस्ताव
दिनांक 16.6.2020

4
वन अधिकार समिति ग्राम सभा लालपावरी, जालपावरी, धनौड़
दिनांक 11.00 बजे स्थान धनौड़
वृत्त आज दिनांक 16.06.2020
वृत्त क्षेत्र/क्षेत्रीय जगदशान उन्नाल
वन अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत
धनौड़ जंगल/वन क्षेत्र में (सिस्टम PPOD) द्वारा शील से धानचली
के लिए 3.55 हेक्टेयर वन भूमि के उपभोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए कोई भी दावा है, प्रत्येक
दावा दाताओं के अधिनियम तथा उस पर विस्तृत धनौड़ के उपभोग वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित दावों
के दावा नियमानुसार नहीं माना गया -

संज्ञा * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल वन नहीं वन अधिकार
इस वन (अधिकार) सामाजिक के पास कोई भी आवेदन वन (अधिकार)
के लिए नहीं है।
नियमानुसार वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों के पारित करने के दावा के दावों
निरस्त करती है।

संज्ञा * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल वन नहीं वन अधिकार

उपरोक्त -

नियमानुसार वन वन इन्हें दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
करती है।

धनौड़ जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

धनौड़
दिनांक 16.6.2020

अध्यक्ष जगदशान उन्नाल
वन अधिकार समिति
ग्राम धनौड़

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिनको इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए
आवेदन किया है।
* धनौड़/ कार्य का नाम जिनको लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपभोग की अनुमति दी जानी है

Copy Attached

Additional District Magistrate
Shirna, Dist. Shirna-171001

वन अधिकार समिति

167

आज दिनांक 16.06.2020 को वन अधिकार समिति की बैठक अध्यक्ष जगदशनि उनियाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, इसकी सभी सदस्य उपस्थित हैं -

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
जगदशनि उनियाल	अध्यक्ष	
प्रशवन्त चौहान	सचिव	
चम्पा शर्मा	सदस्य	
रोशन शर्मा	सदस्य	
रोशन मेहता	सदस्य	
धनी राम उमरेष्ट	सदस्य	
हरदेव ठाकुर	सदस्य	
रीना चौहान	सदस्य	
वीना चौहान	सदस्य	
केवल राम थापल	सदस्य	

उपरोक्त सभी सदस्यों ने यह सुनिश्चित किया कि जहां से शील से थाचली

सड़क का निर्माण होना है वा फिर जहां से उपरोक्त सड़क का निर्माण होना है वहां पर किस प्रकार के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा परम्परागत वन निवासियों को किस प्रकार का अधिकार पाया गया है।

अतः उपरोक्त समिति का उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) से अनुरोध है कि शील से थाचली सड़क निर्माण जारी रखे

ए FRA Certificate (वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र) जारी करने की कृपा करें

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम धनोद

Copy Attested

Additional District Magistrate
Shimla Distt. Shimla-17100

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा... चौपाल
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 4

दिनांक 16.6.2020

ग्राम सभा चौपाल की बैठक आज दिनांक 16-06-20 को 11:30 बजे स्थान दानोटे में श्री/श्रीमती राजदेवी उन्नाल को अध्यक्षता में की गई जिसमें दानोटे, लखामा, लखामा गांवों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दानोटे, लखामा, लखामा क्षेत्र में जिसने 8.10.1999 दिनांक द्वारा सी.ए.सी. चौपाल सड़क निर्माण के लिए 3.5565 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के माध्यम से इस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का यह निश्चयानुसार सही पाया गया :-

उपरोक्त * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्योरा
इस की समिति के पास कोई भी आवेदन के अधिकार दावे के लिए प्राप्त नहीं हुआ है।
तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड 24 की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

उपरोक्त * पात्र ग्राम वासी का नाम
उपरोक्त -

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।
या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार दानोटे जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान दानोटे
दिनांक 16/06/20

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के लिए आवेदन किया है।
ग्राम दानोटे

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अध्यक्ष/सोच्य
वन अधिकार समिति
ग्राम दानोटे

Copy Attached.

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

368

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा जालपाती लखवडी दण्डोरे
विकास खण्ड दण्डोरे जिला दण्डोरे (हि090)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 16.6.2020

संख्या 361/318

प्रस्ताव संख्या 4

विषय दि. पू. लोक निर्माण विभाग/संस्था को शील से शापली
सिडको के निर्माण हेतु दण्डोरे, लखवडी, जालपाती
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैक्टियर वन भूमि के
उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा जालपाती लखवडी की बैठक आज दिनांक
16/06/20 को 11:30 बजे स्थान दण्डोरे में
की गई जिसमें दि. पू. लोक निर्माण विभाग/संस्था को 35565
के निर्माण हेतु दण्डोरे लखवडी, जालपाती जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
35565 हैक्टियर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने
के बाद सर्व समिति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर
सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व समिति से
यह परित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सभी
प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 35565 हैक्टियर वन भूमि को
35565 निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा जालपाती लखवडी को
सहमति दी जाती है।

स्थान दण्डोरे
दिनांक 16/06/20

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति

ग्राम

अध्यक्ष/सचिव

वन अधिकार समिति

ग्राम दण्डोरे

Copy Attested

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

Annexure-I

अनुसूचित जनजात और अनुसूचित परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
वन अधिकार समिति - कालारा
ग्राम सभा - नेकवा
प्रतिनिधि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 03

दिनांक 13/06/20

वन अधिकार समिति ग्राम सभा कालारा (नेकवा) की बैठक आज दिनांक 13/06/20
को 11:00 बजे स्थान कालारा में श्री/श्रीमति राजीव शर्मा
की अध्यक्षता में की गई जिसमें ग्राम के अनुसूचित जनजाति
की वन सम्बन्धी वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कालारा
ग्राम में 0.1284 हेक्टा में जिसमें HPPWD विभाग द्वारा शील से ग्रामली सड़क के
दोनों ओर की जमीन पर जमीन का क़ायम है, वन अधिकारों की रीति में हटाने
का प्रस्ताव पेश किया गया। इस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न निर्णय पारित
किया गया -

प्रस्ताव * इस ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का नाम
इस वन अधिकार समिति के पास कोई भी आवेदन वन अधिकार
दावे के लिए प्राप्त नहीं हुआ है।

आवेदन में से निम्न लिखित बातों का जवाब निम्न प्रकार दिया गया -

प्रश्न * ग्राम वासी का नाम
उत्तर - उपरान्त

व्यवस्था ग्राम सभा इस बात की निश्चय करने को निश्चित
करेगी।

या

कालारा जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान कालारा
दिनांक 13/06/20

अधीकृत प्रधान कर्ता
ग्राम सभा वन अधिकार समिति कालारा
नेकवा, तहसील चौपाल

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन-होने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए
आवेदन किया है।
* ग्राइड/कार्ड का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि का
उपयोग की अनुमति दी गयी है।

Copy Attested

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

वन अधिकार समिति

अज्ञ दिनांक 13/06/20 को वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित
राजगीत (प्रधान व. अधिकारी) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, इसकी सभी सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	राजगीत	अध्यक्ष	<i>[Signature]</i>
2	जोधरा	सचिव	<i>[Signature]</i>
3	श्रीपती	सदस्य	<i>[Signature]</i>
4	पुनम	सदस्य	<i>[Signature]</i>
5	शमशेर	सदस्य	<i>[Signature]</i>
6	संगीत रानि	सदस्य	<i>[Signature]</i>
7	सुनीता	सदस्य	<i>[Signature]</i>
8	सरोज	सदस्य	<i>[Signature]</i>
9	सुनतरा	सदस्य	<i>[Signature]</i>
10	गोहरी बालिका	सदस्य	<i>[Signature]</i>

उपरोक्त सभी सदस्यों ने यह सुनिश्चित किया कि जहां से ~~बन~~ पानी शील
से थान्चली सड़क का निर्माण होना है या फिर जहां से उपरोक्त

सड़क ली है वहां पर किस प्रकार के आवृद्धित जाति जनजाति तथा परम्परागत वन निवासियों
को कोई भी प्रकार का अधिकार पाया गया है।

अतः उपरोक्त समिति का उप-प्रमुख अधिकारी (नागरिक) से अनुरोध है कि
शील (बाल पानी) से थान्चली सड़क निर्माण जारी करने

के I.R.A. Certificate (वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र) जारी करने की कृपा करें।

Copy Attested

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-17100

[Signature]
अध्यक्ष,
वन अधिकारी समिति
प्रधान व. अधिकारी
वन अधिकार समिति कक्षा
310 बंगला, नैनीताल

सुसंरक्षित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा नेरवा
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 04

दिनांक 15/06/20

ग्राम सभा नेरवा (कलारा) की बैठक आज दिनांक 15/06/20 को 11:00 बजे स्थान कलारा में श्री श्रीमती राजीव चौधरी की अध्यक्षता में हुई जिसने कलारा ग्राम के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कलारा जंगल/वन क्षेत्र में जिसने M80000 विभाग द्वारा श्रीमती से शायल से सड़क के निर्माण के लिए 0.128 हेक्टेयर वन की छेड़खनी की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिशों के उपरान्त प्राप्त हुए ग्रामवासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के स्वयं प्रेरित हस्ताक्षरों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित प्रावों का एक निर्णयानुसार सही पाया गया -

बतौर * प्राप्त ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौता
इस ग्राम सभा से वन अधिकार समिति कलारा से कोई भी आवेदन वन अधिकार दावे के लिए प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः इस ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप चपट सर की समिति को भिजाने का फैसला करता है कि निम्न लिखित प्रावों का दावा निम्न द्वारा सही नहीं पाया गया -

बतौर * प्राप्त ग्राम वासी का नाम
उपरोक्त

अतः इस ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति ने प्राप्ति सूचना के अनुसार अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान कलारा

दिनांक 15/06/20

अधीकृत पंचायत समिति कलारा
ग्राम सभा दा0 नेरवा, तै0 चौपाल

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

* प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूखंडों का उपयोग की अनुमति दी जानी है।

Copy Attested.

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम रखा नेमला
विकास स्थल चौपाल जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 15/06/20

पृष्ठ 117 231

प्रस्ताव संख्या 04

विषय हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग/संस्था का शील से भायली
खंडक के निर्माण हेतु खाला
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-12-84 हेक्टर वन भूमि के
उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा खाला (नेमला) की बैठक आज दिनांक
11:00 बजे खाला
विषय हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग/संस्था का शील से भायली
खंडक के निर्माण हेतु खाला
00-12-84 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

कभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित बांध हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूर्णतः अनजाने में रह कर सही समझ में यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर प्रस्ताव है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावा के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सही समझ में आया कि उपरोक्त अधिनियम की अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सभी मामलों की जाँच की गई है, कर ली गई है तथा प्रस्तावित 00-12-84 हेक्टर वन भूमि को खंडक के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा खाला (नेमला) को दी जाती है।

प्रमाण खाला
दिनांक 15/06/20
प्रधान खाला
वन अधिकार समिति खाला
अध्यक्ष खाला

अध्यक्ष/समिति
वन अधिकार समिति
ग्राम खाला

Copy Attested
Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

Annexure-I

अनुचित जनजातों और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
वन अधिकार समिति - शाचली
ग्राम संमा - 202001
प्रतिनिधि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 03

दिनांक 13/06/20

वन अधिकार समिति ग्राम संमा शाचली (नेकल) की बैठक आज दिनांक 11/30 को ग्राम शाचली में श्री/प्रमोद दुग्गा ने संदे ग्राम के अनुचित जनजातों के वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि क्षेत्र में (जिसमें MHFWO विभाग द्वारा वील से शाचली बाइक के 0.300 हेक्ता वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हुए हैं। वन अधिकारों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति संमा द्वारा निम्न लिखित दावे को मान्यता प्रदान किया गया -

2006 के अनुचित जनजातों के नाम वन अधिकार का दावा
दुग्गा के आवेदक मोमति शाचली के पास कोई भी आवेदन को
आवेदक दावे के लिए प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र में दावे के दावे प्रमाणित नहीं किया गया -

कोसों के नाम वन भूमि के नाम

1 - उपरोक्त -

व्यक्ति/ग्राम संमा इत्यादि दावे/इन दावों का निरस्त करने की सिफारिश

या

शाचली वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान शाचली

दिनांक 13/06/20

अध्यक्ष
अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम संमा
ग्राम शाचली

Dupli Singh

* ग्रामवासी/ग्राम वारीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/अंगल में वन अधिकारों के दावे हैं लिए आवेदन किया है।

* ग्रैजेट/कार्ड का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

Copy Attested.

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

वन अधिकार समिति

13/06/20
दुर्गा सिंह (पुत्र का अ. समिति)

दुर्गा सिंह
सुन्दर सिंह
राम लाल
मधु रात्रि
सुनीता देवी
का. लाल देवी
अर्चना देवी
अनन्दा देवी
शुभ लाल
सीता रात्रि

दुर्गा सिंह
सुन्दर सिंह
राम लाल
मधु रात्रि
सुनीता देवी
का. लाल देवी
अर्चना देवी
अनन्दा देवी
शुभ लाल
सीता रात्रि

मैंने इसी तारीख से यह सुनिश्चित किया कि जहाँ से लाल पानी नीला
से थाचली

मैंने इसी तारीख से यह सुनिश्चित किया कि जहाँ से लाल पानी नीला
से थाचली

मैंने इसी तारीख से यह सुनिश्चित किया कि जहाँ से लाल पानी नीला
से थाचली

RA Certificate (वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र) जारी करने की कृपा करें।

Copy Attested.

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

दुर्गा सिंह
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम बागली

358

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम की धारा 200) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा नेकवा (शाचली)
जिला शिमला (हि090)

प्रारंभिक प्रस्ताव

दिनांक 13/06/20

पन्ना 90 175

प्रस्ताव संख्या 03

विषय हि. घूँ लोक निर्माण शाचली श्रील रो शाचली
किसी अन्य निर्माण शाचली
हस्ताक्षर वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-30-01 हस्ताक्षर वन भूमि के
उपयोग की मजूरी के लिए सहमति प्रदान करने के लिए।

ग्राम सभा नेकवा (शाचली)
दिनांक 11/30 लोक निर्माण शाचली श्रील रो शाचली
संख्या 00-30-01 00-30-01 श्रील रो शाचली

सभी ग्रामवासियों ने सहायित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि को प्रस्तावित करेगी।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम, 2006 के अनुसूचित वन अधिनियम के धारा 200 के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि उपरोक्त अधिनियम के अनुसूचित वन अधिकार के धारा 200 के निपटारे पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि को प्रस्तावित करेगी।

ग्राम सभा शाचली
अध्यक्ष सुन्दर सिंह श्रील रो शाचली
सचिव अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
वन अधिकार समिति ग्राम सभा
ग्राम शाचली

Copy Attested

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

135

Office of the Sub-Divisional Officer (Civil) Chopal District Shimla HP
Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee
constituted under Schedule Tribes & Others Traditional
Forest Dwellers (recognition of Right) ACT-2006.

A meeting of the Sub-Divisional Forest Right Committee constituted under FRA-2006 was held under the Chairmanship of Sh. Narendra Chauhan (HPAS), SDO (C), Chopal on 25 September, 2010 at SDM office Chopal. Following members were present in the meeting.

- 1. Sh. Narendra Chauhan (HPAS), Sub-Divisional Magistrate (C), Chopal.
- 2. Sh. Umesh Sharma, Tehsildar, Chopal Tehsil Chopal Distt. Shimla HP.
- 3. Sh. Yoginder Mehta, Dy. Ranger (Representative of DFO Chopal)
- 4. Sh. Rajesh Kumar, Member Panchayat Samiti, Judu Shidai.
- 5. Sh. Manohar Dutt Sharma, Mem 3376r Panchayat Samiti, Mamu-Bhavya & Khund Newal
- 6. Smt. Ansham Mania, Member Panchayat Samiti, Banita.

Point wise discussion and approval of Committee are as follows:-

- i) Following cases have been received from following User Agencies for issuance of FRA certificate for diversion of forest land in respect of various developmental projects. All of those were put up before the committee for consideration.
- ii) Co road from Banita Kainchi to Mamvi Pujarli (Shangroli) via Jagdahi by Executive Engineer, Chopal Division HPPWD Chopal;
- iii) Co PHC building at Dewat Tehsil Chopal District Shimla HP by BMO Nerwa Tehsil Nerwa District Shimla HP.
- iv) Co Govt. I.L.I. building at Nerwa Tehsil Nerwa District Shimla HP by Principal, Govt. I.L.I Nerwa Tehsil Nerwa District Shimla HP
- v) Co Tehsil building at Kupvi Tehsil Kupvi District Shimla HP. by Tehsildar Kupvi Tehsil Kupvi District Shimla HP
- vi) Co Steel Thachali Soyul Bagna road via Jagdahi by Executive Engineer, Chopal Division HPPWD Chopal.
- vii) Sarain Micro Hydel Project (100 kw). by Sh. Surender Singh Vill. Gorwa PO Sarain Tehsil Chopal Pro. Sarain Micro Hydel Project (100 kw).
- iii) The Sub Divisional Forest Right Committee after examining the cases & relevant documents forwarded by village level revenue committee observes that the NOC for FRA certificate in favour above User Agencies have been approved by respective Mohal Sabha's and same is attached as annexure-I, II & V alongwith the revenue papers.
- iv) The Sub-Divisional Forest Right Committee approved the proposals for issuing the FRA certificates for the works mentioned above and certifies that there is no individual or community claims at the proposed sites as per NOC and resolutions of village level Forest Right Committees and Mohal Sabha's. It is, therefore, recommended that the FRA certificate may be issued in favour of the User Agencies for the construction of the

Copy Attached
Additional District Magistrate
Shimla Distt. Shimla-171001

137

Name of User Agency	Name of proposal	Revenue village(s)	Gram Panchayat	Khasra No. involved in the project	Area (in hectare)	Description of land as per revenue record.
Executive Engineer Chopa Division HPPW-2 Chopa	C/o road from Banta branch to Mamya Popadi (Shangroli) via Jagdab	Banta	Banta	762/1	00-04-63	Gar Mumkin Sadak
		Banta	Banta	900/1	00-12-08	Gar Mumkin Sadak
		Banta	Banta	895/1	00-04-91	Gar Mumkin Sadak
		Banta	Banta	878/1	00-09-71	Gar Mumkin Sadak
		Banta	Banta	874/1	00-08-99	Gar Mumkin Sadak
		Banta	Banta	412/1	00-06-97	Charagah billa darkhan
		DPI Banta	Banta	6/1	00-25-66	DPI Banta
		DPI Banta	Banta	4/1	00-31-41	DPI Banta
		DPI Banta	Banta	5/1	00-07-30	DPI Banta
		Shangroli	Banta	213/2	00-02-96	Charagah billa darkhan
		Shangroli	Banta	213/1	00-11-95	Charagah billa darkhan
		Shangroli	Banta	207/1	00-08-52	Charagah billa darkhan
		Shangroli	Banta	220/1	00-05-18	Charagah billa darkhan
		Shangroli	Banta	219/1	00-02-21	Charagah billa darkhan
		DPI Shangroli	Banta	6/1	00-22-39	DPI Shangroli
		DPI Shangroli	Banta	5/1	00-23-23	DPI Shangroli
		Mamya	Banta	349/1	00-01-43	Charagah billa darkhan
		Mamya	Banta	207/1	00-00-88	Charagah

Copy Attached
Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001
D.M.C.C.

Mamuyi	Bamta	296/1	00-02-82	billa darkhtan Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	294/1	00-04-80	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	296/2	00-02-20	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	292/2	00-00-99	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	196/1	00-04-56	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	304/1	00-00-68	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	191/1	00-00-70	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	190/1	00-02-55	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	309/1	00-00-53	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	399/1	00-00-25	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	385/1	00-00-53	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	431/1	00-02-40	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	243/1	00-02-04	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	243/1/1	00-00-80	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	244/1	00-08-20	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	277/1	00-00-84	Charagah billa darkhtan
Mamuyi	Bamta	292/1	00-00-72	Charagah billa darkhtan

Copy Attested
Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

[Signature]

Executive
Engineer,
Chopra
Division
(PPW)
Chopra

C/o Shree
Bachali Soyal
Bagna road

DPI	Bamta	964/1	00-11-20	DPI Bamta
Bamta				
(DI)				
Bamta	Bamta	5/2	00-27-00	Charagah
(D2)				Boffa
				darikhian
DPI	Bamta	5/3	00-18-00	DPI
Shangrohi	Mawa			Shangrohi
(D3)				
Dhamot	Charagah	TOTAL	02-83-37	
		187/1	00-13-79	Charagah
		308/1	00-03-20	G.M. Nala
		355/1	00-11-82	Charagah
		356/1	00-07-56	Charagah
		365/1	00-02-94	Charagah
		376/1	00-03-11	Charagah
		425/1	00-18-06	Charagah
				darikhian
		425/2	00-15-96	Charagah
				darikhian
		438/1	00-02-36	Charagah
		441/1	00-01-80	Charagah
		438/2	00-03-36	Charagah
		441/2	00-01-80	Charagah
		453/1	00-23-88	Charagah
		356/2	00-00-77	Charagah
		355/2	00-21-57	Charagah
		308/2	00-00-80	G.M. Nala
		187/2	00-04-29	Charagah
		188/1	00-05-20	Charagah
		189/1	00-00-90	Charagah
		187/3	00-12-75	Charagah
		308/3	00-00-40	G.M. Nala
		355/3	00-13-65	Charagah
		308/4	00-00-30	G.M. Nala
		187/4	00-08-00	Charagah
		243/1	00-01-50	Charagah
		243/1	00-00-24	G.M. Nala

Copy Attested.
Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

[Signature]

140

Copy Attached

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

BMO Nerwa
Tehsil Nerwa
District
Shimla HP
Principal
Govt. H
Nerwa Tehsil
Nerwa
District
Shimla HP
Tehsil
Kupvi Tehsil
District
Shimla HP

C/o PHC
building at
Dawat Tehsil
Chopal District
Shimla HP
C/o Govt. I.T.I.
building at
Nerwa Tehsil
Nerwa District
Shimla HP
C/o Tehsil
building at Kupvi
Tehsil Kupvi
District Shimla
HP

Kalana ✓ Nerwa

Thachal ✓ Nerwa

238/1	00-14-44	Charagah
239/1	00-02-66	Charagah
243/2	00-00-36	G.M. Nala
244/1	00-00-90	Charagah
263/1	00-00-70	Charagah
264/1	00-00-70	Charagah
265/1	00-07-32	Charagah
267/1	00-01-74	Charagah
276/1	00-02-12	Charagah
308/2	00-00-30	G.M. Nala
333/4	00-01-30	Charagah
355/5	00-21-42	Charagah
425/3	00-52-00	Charagah darkhan
453/2	00-52-00	Charagah darkhan
355/6	00-16-00	Charagah darkhan
TOTAL	03-55-65	

4/1	00-12-84	Charagah
TOTAL	00-12-84	

257/1	00-10-86	Charagah
249/1	00-00-75	Charagah
236/1	00-18-40	Charagah
TOTAL	00-30-01	
G.TOTAL	03-98-50	

592/2/1	00-15-12	Charagah bula darkhan
---------	----------	-----------------------------

740/1	00-70-98	Charagah Nerwa Charagah darkhan
-------	----------	--

131	00-28-05	Charagah bula darkhan
-----	----------	-----------------------------

(14)

Sh. Sander Singh - III Gorwa PO Saram Tehsil Chopal Pro Saram Micro Hydel Project (100 kw).	Saram Micro Hydel Project (100 kw)	DPI Saram III	21.4	00-00-50	Jangle Mehtuja Mehduda	
			21.3	00-00-90	Jangle Mehtuja Mehduda	
			21.2	00-00-75	Jangle Mehtuja Mehduda	
			21.1	00-02-50	Jangle Mehtuja Mehduda	
		Saram	827/1	00-00-30	Charagah darkhtan	
			827/2	00-01-00	Charagah darkhtan	
			827/3	00-04-72	Charagah darkhtan	
			827/4	00-00-89	Charagah darkhtan	
		Saraialda	319/1	00-00-72	C.M. Nalla	
			362/1	00-01-48	Ghasani	
			TOTAL		00-13-76	

(Narendra Chauhan) HPAS,
Chairman-cum-
Sub-Divisional Magistrate (C), Chopal

Copy Attested.

Additional District Magistrate
Shimla, Dist. Shimla-171001